


फर्द अहकाम

उम देवी वर्मा बनाम जेलाड वर्मा

उपावण अधिकारी जमवारासगढ, जयपुर

15/2019

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/7/25	<p>जवाबदारी पेश 581 वकील उमम पत्र उमम वकील प्रतिवादी नं 2 न जवाब आपत्ति कुर्जाट नदी केर लीची वक्ष की। वकील उमम पत्रों की वक्ष 13वीं नलक जवाबदारी का मजलूमकन चिल गाम/ जवाबदारी गाम नारायण देवु दिनांक 28/7/25 का पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपस्थित अधिकारी जमवारासगढ जिला-जयपुर </p>	
28/7/25	<p>जवाबदारी पेश 581 वकील उमम पत्र उमम जवाबदारी नारायण देवु विन्यासकीत हो जवाबदारी का मजलूमकन चिल गाम नलक 13/15 का ननन चिल गाम/ नारायण देवु जवाबदारी का मजलूमकन करमे क वक्ष का मनन करल जवाबदारी से आपत्ति कुर्जाट दिनेरी का शवापिन चिल गाम 13/15 नलक 13/15 का वाड नानगरि धा 53, 188 राजस्थान काश्तकारे अधिकारिक के नानेन रूप से नलीकन चिल जवाबदारी कुर्जाट के वाड का जवाबदारी देवु जिलीन चिल गाम 13/15 वाड के नारायण चिल गाम 13/15 विस्तृत विवरण</p>	

नाम न्यायालय

केस संख्या

15/2019

पुनर्विचार
अपील

फर्द अहकाम

बनाम

अधिकारी

पुनर्विचार

अपील

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पुनर्विचार विभाग द्वारा शासित विभाग द्वारा निष्पत्ति प्राप्त है अतः अपील को खारिज कर दिया जाता है। शासित विभाग द्वारा</p>

उपरिष्ठ अधिकारी
अपील विभाग

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

प्रेमदेवी वगै० बनाम प्रहलाद वगै०

पत्र संख्या : 15/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.08.2025	<p>पत्रावली में तहसीलदार जमवारामगढ़ (पैरोकार सरकार) द्वारा पत्र क्रमांक/भू०अ०/6489 दिनांक 5.8.25 पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार जमवारामगढ़ (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्र में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के उक्त उनवानी प्रकरण सं० 15/2019 उनवान प्रेम देवी बनाम प्रहलाद वगै० में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2025 में प्रस्तावित कुरैजात के खाता सं० 3 व 4 में खातेदारान का हिस्सा नहीं मिलने से निर्णय की पालना नहीं हो पा रही है। अतः निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 28.07.2025 में अंकित खाता सं० 3 में खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.0560है० में खातेदार लाछा देवी पत्नी कैलाश हि० 3/9 के स्थान पर हि० 1/9 व खाता सं० 4 के खसरा नम्बर 165/4 रकबा 0.3200है० व खसरा नम्बर 165/1 रकबा 0.5460है० किता 2 कुल रकबा 0.8660है० में सम्पूर्ण खाता करण पुत्र राकेश हि० 2166/86600, नानगी पत्नी मंगलचन्द हि० 9712/86600, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि० 9712/86600 जाति मीना सा०देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि० 17233/86600 जाति मीना सा० डोडा डूंगर खातेदार, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि० 2166/86600, रामधन पुत्र ग्यारसा हि० 15750/86600 राहिन इन्द्रिगल अरबन को ओरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाडा देवी पत्नी छोटूराम हि० 3675/86600, लाला पुत्र भौरया हि० 18454/86600, लाली पत्नी रमेश कुमार हि० 3400/86600 जाति मीना ढाणी सिंघलों की पापड खातेदार, विमला पत्नी राकेश हि० 2166/86600, विशाल पुत्र राकेश हि० 2166/86600 जाति मीना सा०देह खातेदार किये जाने के संशोशित आदेश प्रदान करें। जिससे माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की जा सकें।</p> <p>पत्रावली का व प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा तहसीलदार की बहस का मनन करने पर तहसीलदार (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उनवानी प्रकरण सं० 15/2019 में पारित निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 28.07.2025 में उक्तानुसार खाता सं० 3 में खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.0560है० में खातेदार लाछा देवी पत्नी कैलाश हि० 3/9 के स्थान पर हि० 1/9 व खाता सं० 4 के खसरा नम्बर 165/4 रकबा 0.3200है० व खसरा नम्बर 165/1 रकबा 0.5460है० किता 2 कुल रकबा 0.8660है० में सम्पूर्ण खाता करण पुत्र राकेश हि० 2166/86600, नानगी पत्नी मंगलचन्द हि० 9712/86600, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि० 9712/86600 जाति मीना सा०देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि० 17233/86600 जाति मीना सा० डोडा डूंगर खातेदार, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि० 2166/86600, रामधन पुत्र ग्यारसा हि० 15750/86600 राहिन इन्द्रिगल अरबन को ओरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाडा देवी पत्नी छोटूराम हि० 3675/86600, लाला पुत्र भौरया हि० 18454/86600, लाली पत्नी रमेश कुमार हि० 3400/86600 जाति मीना ढाणी सिंघलों की पापड खातेदार, विमला पत्नी राकेश हि० 2166/86600, विशाल पुत्र राकेश हि० 2166/86600 जाति मीना सा०देह खातेदार का हिस्सा संशोधित किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार ही संशोधित हिस्सा ही निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2025 में पढा व समझा जावें। पत्रावली पूर्वानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।</p>	

मिसल नं.
15/2019

तारीख दायर
25/01/2019

1. प्रेम देवी पत्नि प्रभू जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
2. लाडा देवी पत्नि छोदू मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
3. लाछा देवी पत्नि कैलाश मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी डोडाडूंगर तहसील जमवारामगढ़।
2. लल्ली देवी मीणा पत्नि रमेश कुमार मीणा निवासी पापड, तह0 जमवारामगढ़।
3. लाला पुत्र भौरिया मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
4. विशाल पुत्र स्व0 राकेश
5. करण पुत्र स्व0 राकेश
6. मुस्कान पुत्री स्व0 राकेश रु
समस्त नाबालिक संरक्षिका जरिये माता विमला देवी पतिन स्व0 राकेश मीणा
निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
7. विमला देवी पत्नि स्व0 राकेश मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0
जमवारामगढ़।
8. रामधन पुत्र ग्यारसा मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
9. नारायण पुत्र मंगलचन्द मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
10. नानगी पत्नि मंगलचन्द मीणा निवासी हरिकिशनपुरा नायला, तह0 जमवारामगढ़।
11. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक महोदय, जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रामकरण शर्मा :- वकील वादीगण।
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :- वकील प्रतिवादी सं0 2

**दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट**

-: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 1, 6100है0 वाकै ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादीगण का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 03.03.2025 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील वादीगण ने आपत्ति पेश की। वकील प्रतिवादी सं0 2 ने जवाब आपत्ति

कुर्रैजात नही देकर सीधी बहस की। आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। आपत्ति कुर्रैजात खारिज की जाती है।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिरसे अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
करण पुत्र राकेश हि० 59/4232, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि० 1/16, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि० 1/16, प्रेमदेवी पत्नि प्रभू हि० 1/9, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि० 59/4232, रामधन पुत्र ग्यारसा हि० 15/148 राहिन हि० 15/148 पूर्ण खाता इन्द्रीगल अरबन कॉ ऑपरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाछा देवी पत्नि कैलाश हि० 3/9, लाडादेवी पत्नि छोटू हि० 1/9 राहिन हि० 1/9 पूर्ण खाता आईडीबीआई बैंक लिमि० शाखा राजापार्क जयपुर, लाडा देवी पतिन छोटूराम हि० 7/296, लाला पुत्र भोरया हि० 19/160, विमला पत्नि राकेश हि० 59/4232, विशाल पुत्र राकेश हि० 59/4232 जाति मीणा सा०देह, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि० 176/1587 जाति मीणा सा० डोडा डूंगर खातेदार, लाली पत्नि रमेश कुमार हि० 21/160 जाति मीणा ढाणी सिंघलों की ग्राम पापड खातेदार।	165	1.6100	चाही 1	48.30
योग	किता 1	1.6100	—	48.30

—: प्रस्तावित :-


प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
प्रेम देवी पत्नि प्रभू हि० 1/3, लाछा देवी पत्नि कैलाश हि० 1/3 बिला रहन, लाडा देवी पत्नि छोटू हि० 1/3 राहिन आईडीबीआई बैंक लिमि० शाखा राजापार्क जयपुर जाति मीणा सा०देह खातेदार	165/3	0.5180	चाही 1	—
योग	किता 1	0.5180	—	—
लाली देवी पत्नि रमेश कुमार हि० सम्पूर्ण जाति मीणा ढाणी सिंघलो की ग्राम पापड खातेदार	165/5	0.1700	चाही 1	—
योग	किता 1	0.1700	—	—
करण पुत्र राकेश हि० 59/4232, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि० 1/16, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि० 1/16, प्रेमदेवी पत्नि प्रभू हि० 1/9, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि०	165/2	0.0560	चाही 1	—

उपरोक्त अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

59/4232, रामधन पुत्र ग्यारसा हि0 15/148 राहिन हि0 15/148 पूर्ण खाता इन्ट्रीगल अरबन को ऑपरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाडा देवी पत्नि कैलाश हि0 3/9, लाडादेवी पत्नि छोटू हि0 1/9 राहिन हि0 1/9 पूर्ण खाता आईडीबीआई बैंक लिमि0 शाखा राजापार्क जयपुर, लाडा देवी पत्नि छोटूराम हि0 7/296, लाला पुत्र भोरया हि0 19/160, विमला पत्नि राकेश हि0 59/4232, विशाल पुत्र राकेश हि0 59/4232 जाति मीणा सा0देह, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि0 176/1587 जाति मीणा सा0 डोडा डूंगर खातेदार, लाली पत्नि रमेश कुमार हि0 21/160 जाति मीणा ढाणी सिंघलों की ग्राम पापड खातेदार।					
	योग	किता 1	0.0560	-	-
करण पुत्र राकेश हि0 2165/86600, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि0 971/86600, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि0 971/86600 जाति मीणा सा0देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि0 1723/86600 जाति मीणा सा0 डोडा डूंगर खातेदार, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि0 2165/86600, रामधन पुत्र ग्यारसा हि0 1575/86600 राहिन इन्ट्रीगल अरबन को ओरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाडा देवी पत्नि छोटूराम हि0 368/86600, लाला पुत्र भोरया हि0 1846/86600, लाली पत्नि रमेश कुमार हि0 340/86600 जाति मीणा ढाणी सिंघलो की पापड खातेदार, विमला पत्नि राकेश हि0 2165/86600, विशाल पुत्र राकेश हि0 2165/86600 जाति मीणा सा0देह खातेदार।		165/4 165/1	0.3200 0.5460	चाही 1 चाही 1	- -
	योग	किता 2	0.8660	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़



दिल्ली मुकदमा इवतार्ई

(कलस 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रेमदेवी वगै०

बनाम

प्रहलाद वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 15/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री पुष्पेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्र. संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
21	करण पुत्र राकेश हि० 59/4232, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि० 1/16, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि० 1/16, प्रेमदेवी पत्नि प्रभू हि० 1/9, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि० 59/4232, रामधन पुत्र ग्यारसा हि० 15/148 राहिन हि० 15/148 पूर्ण खाता इन्ड्रीगल अरबन कॉ ऑपरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाछा देवी पत्नि कैलाश हि० 3/9, लाडादेवी पत्नि छोटू हि० 1/9 राहिन हि० 1/9 पूर्ण खाता आईडीबीआई बैंक लिमि० शाखा राजापार्क जयपुर, लाडा देवी पतिन छोटूराम हि० 7/296, लाला पुत्र भोरया हि० 19/160, विमला पत्नि राकेश हि० 59/4232, विशाल पुत्र राकेश हि० 59/4232 जाति मीणा सा०देह, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि० 176/1587 जाति मीणा सा० डोडा डूंगर खातेदार, लाली पत्नि रमेश कुमार हि० 21/160 जाति मीणा ढाणी सिंघलों की ग्राम पापड खातेदार।	165	1.6100	चाही 1	48.30
	योग	किता 1	1.6100	-	48.30

-: प्रस्तावित :-

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	प्रेम देवी पत्नि प्रभू हि० 1/3, लाछा देवी पत्नि कैलाश हि० 1/3 बिला रहन, लाडा देवी पत्नि छोटू हि० 1/3 राहिन आईडीबीआई बैंक लिमि० शाखा राजापार्क जयपुर जाति मीणा सा०देह खातेदार	165/3	0.5180	चाही 1	-
	योग	किता 1	0.5180	-	-
2	लाली देवी पत्नि रमेश कुमार हि० सम्पूर्ण जाति मीणा ढाणी सिंघलो की ग्राम पापड खातेदार	165/5	0.1700	चाही 1	-

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

	योग	किता 1	0.1700	-	-
		165/2	0.0560	चाही 1	-
	करण पुत्र राकेश हि0 59/4232, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि0 1/16, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि0 1/16, प्रेमदेवी पत्नि प्रभू हि0 1/9, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि0 59/4232, रामधन पुत्र ग्यारसा हि0 15/148 राहिन हि0 15/148 पूर्ण खाता इन्ट्रीगल अरबन को ऑपरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाछा देवी पत्नि कैलाश हि0 3/9, लाछादेवी पत्नि छोदू हि0 1/9 राहिन हि0 1/9 पूर्ण खाता आईडीबीआई बैंक लिमि0 शाखा राजापार्क जयपुर, लाछा देवी पत्नि छोदूराम हि0 7/296, लाला पुत्र भोरया हि0 19/160, विमला पत्नि राकेश हि0 59/4232, विशाल पुत्र राकेश हि0 59/4232 जाति मीणा सा0देह, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि0 176/1587 जाति मीणा सा0 डोडा डूंगर खातेदार, लाली पत्नि रमेश कुमार हि0 21/160 जाति मीणा दाणी सिंघलों की ग्राम पापड खातेदार।				
	योग	किता 1	0.0560	-	-
4		165/4 165/1	0.3200 0.5460	चाही 1 चाही 1	-
	करण पुत्र राकेश हि0 2165/86600, नानगी पत्नि मंगलचन्द हि0 971/86600, नारायण पुत्र मंगलचन्द हि0 971/86600 जाति मीणा सा0देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र रामपाल हि0 1723/86600 जाति मीणा सा0 डोडा डूंगर खातेदार, नाबालिग मुस्कान पुत्री राकेश संरक्षक सरपस्त माता विमला हि0 2165/86600, रामधन पुत्र ग्यारसा हि0 1575/86600 राहिन इन्ट्रीगल अरबन को ओरेटिव बैंक शाखा झोटवाडा, लाछा देवी पत्नि छोदूराम हि0 368/86600, लाला पुत्र भोरया हि0 1846/86600, लाली पत्नि रमेश कुमार हि0 340/86600 जाति मीणा दाणी सिंघलों की पापड खातेदार, विमला पत्नि राकेश हि0 2165/86600, विशाल पुत्र राकेश हि0 2165/86600 जाति मीणा सा0देह खातेदार।				
	योग	किता 2	0.8660	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/07/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुता0			मुता0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0- 15/2019

दायर दिनांक 25.11.2019

प्रेमदेवी

बनाम

प्रहलाद वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश

दिनांक 03.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री रामकरण शर्मा वकील वादी निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 165 रकबा 1. 6100है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुरैजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 03/03/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर